

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15883/2024

- श्री हरचरण (स्वर्गीय), अपने वैधानिक उत्तराधिकारियों (एल आर एस) के माध्यम से-
 - उत्तम चन्द, पुत्र स्व. श्री हरचरण, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
 - प्रमोद कुमार, पुत्र स्व. श्री हरचरण, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
 - श्रीमती कमला, पुत्री स्व. श्री हरचरण, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
 - श्रीमती इन्द्रा, पुत्री स्व. श्री हरचरण, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
 - श्रीमती मिथिलेश, पुत्री स्व. श्री हरचरण, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- रमेश (स्वर्गीय), अपने वैधानिक उत्तराधिकारियों (एल आर एस) के माध्यम से-
 - महेन्द्र कुमार, पुत्र स्व. श्री रमेश, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
 - श्रीमती शिवबाला, पुत्री स्व. श्री रमेश, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
 - श्रीमती वीना, पुत्री स्व. श्री रमेश, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- पूरन चन्द, पुत्र घनश्याम, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- बृजभूषण, पुत्र घनश्याम, निवासी ग्राम कसवा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- नन्नू (स्वर्गीय), अपने वैधानिक उत्तराधिकारियों (एल आर एस) के माध्यम से-
 - श्रीमती गुड्डी, पत्नी स्व. श्री सीताराम, पुत्र स्व. श्री नन्नू, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
 - दीपक, पुत्र स्व. श्री सीताराम, पुत्र स्व. श्री नन्नू, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
 - राजा, पुत्र स्व. श्री सीताराम, पुत्र स्व. श्री नन्नू, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/111/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को दोपहर 12:39:18 बजे डाउनलोड किया गया)

2. भगवान (स्वर्गीय), अपने वैधानिक उत्तराधिकारियों (एल आर एस) के माध्यम से-

- 2.1. रामवती, पत्नी स्व. श्री भगवान, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 2.2. राजरानी उर्फ मस्ता, पुत्री स्व. श्री भगवान, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 2.3. रानी, पुत्री स्व. श्री भगवान, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 2.4. बीना, पुत्री स्व. श्री भगवान, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 2.5. बाबल, पुत्री स्व. श्री भगवान, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।

3. शिवराम (स्वर्गीय), अपने वैधानिक उत्तराधिकारियों (एल आर एस) के माध्यम से-

- 3.1. गीता, पत्नी स्व. श्री शिवराम, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 3.2. सुन्ना, पुत्र स्व. श्री शिवराम, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 3.3. सतीश, पुत्र स्व. श्री शिवराम, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।

4. रामदयाल (स्वर्गीय), अपने वैधानिक उत्तराधिकारियों (एल आर एस) के माध्यम से-

- 4.1. संतोष, पुत्र स्व. श्री रामदयाल, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 4.2. सोनू, पुत्र स्व. श्री रामदयाल, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी जोशी मोहल्ला, नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर।

5. गंगाचरण (स्वर्गीय), अपने वैधानिक उत्तराधिकारियों (एल आर एस) के माध्यम से-

- 5.1. ओमप्रकाश, पुत्र स्व. श्री गंगाचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 5.2. मुकुट, पुत्र स्व. श्री गंगाचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 5.3. राजेन्द्र, पुत्र स्व. श्री गंगाचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 5.4. मना, पुत्री स्व. श्री गंगाचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 5.5. मन्नू, पुत्री स्व. श्री गंगाचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
- 5.6. उषा, पुत्री स्व. श्री गंगाचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/111/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को दोपहर 12:39:18 बजे डाउनलोड किया गया)

6. होटी, पुत्र शिवचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
7. दाऊदयाल, पुत्र शिवचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
8. सत्येन्द्र, पुत्र शिवचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
9. लक्ष्मी नारायण, पुत्र शिवचरण, निवासी कस्बा, तहसील नगर, जिला भरतपुर।
10. प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, भरतपुर।

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री विश्वेश गुप्ता और
श्री किशन स्वामी के साथ
श्री एन.के. गोयल

उत्तरदाता(ओं) के लिए:

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झींगन

आदेश

11/12/2024

1. यह याचिका राजस्व मंडल, अजमेर (संक्षेप में 'बोर्ड') के दिनांक 20.09.2024 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि वादी याचिकाकर्ता द्वारा घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर वाद पर 09.02.2001 को फैसला सुनाया गया था। प्रतिवादी द्वारा 19.12.2002 को दायर अपील को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने खारिज कर दिया था। बोर्ड ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि वाद आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत वर्जित है। याचिकाकर्ता ने स्थगन आवेदन के साथ समीक्षा याचिका दायर की। समीक्षा याचिका में नोटिस जारी किया गया था और रिकॉर्ड तलब किया गया था। इस बात से व्यथित होकर कि स्थगन आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया, याचिकाकर्ता ने स्थगन प्रदान करने के लिए एक और आवेदन दायर किया। बोर्ड ने आक्षेपित आदेश में माना कि प्रतिवादी की सेवा पूरी नहीं हुई है और 14.08.2024 को अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन की अनुमति देते हुए

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/111/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को दोपहर 12:39:18 बजे डाउनलोड किया गया)

कानूनी प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किए गए इस स्तर पर स्थगन आवेदन पर आदेश पारित करना उचित नहीं पाया गया और याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों की तामील के बाद स्थगन आवेदन पर बहस करने की स्वतंत्रता दी गई। अतः वर्तमान याचिका।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि बोर्ड ने प्रथम दृष्टया समीक्षा में गुण-दोष पाते हुए नोटिस जारी किया था और तब तक यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। 1994 (1) आर.बी.जे. 24 में रिपोर्ट किए गए श्री सरवन सिंह एवं अन्य बनाम श्री भजन सिंह एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय और 2016 (23) आर.बी.जे. 360 में रिपोर्ट किए गए शौकत अली एवं अन्य बनाम राजस्व बोर्ड एवं अन्य के मामले में एकल पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि स्थगन के लिए एक तीसरा आवेदन भी दायर किया गया है, सेवा पूरी हो चुकी है लेकिन स्थगन आवेदन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

4. पुनर्विचार याचिका में नोटिस जारी करने मात्र से ही याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण का अधिकार नहीं मिल जाता। और तो और, जब बोर्ड ने वाद की पोषणीयता के आधार पर अपील स्वीकार कर ली थी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड का मानना था कि स्थगन आवेदन पर दूसरे पक्ष को सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा। याचिकाकर्ता की यह गलत धारणा है कि स्थगन आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता को तामील पूरी होने पर स्थगन आवेदन पर बहस करने की स्वतंत्रता होगी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि एक अन्य स्थगन आवेदन दायर किया गया है और उस पर विचार नहीं किया गया है और यह दलीलों द्वारा समर्थित नहीं है।

6. जिन दो निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। उद्धृत प्राधिकारी में से कोई भी वर्तमान मामले से जुड़े मुद्दों पर विचार

नहीं कर रहा है। श्री सरवण सिंह एवं अन्य (सुप्रा) में खंडपीठ प्राधिकारी एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें पुनरीक्षण स्वीकार किया गया था लेकिन बोर्ड ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। शौकत अली एवं अन्य (सुप्रा) में न्यायालय एक ऐसी स्थिति पर विचार कर रहा था जहां अस्थायी निषेधाज्ञा के एक आदेश के खिलाफ अपील लंबित थी और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया था कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाना चाहिए था। इस मामले में स्थगन आवेदन बोर्ड के समक्ष लंबित है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बोर्ड के समक्ष यह अनुरोध किया गया हो कि अब प्रतिवादी की सेवा पूरी हो गई है और स्थगन से संबंधित मामले पर सुनवाई की जाए।

7. रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

8. रिट याचिका खारिज की जाती है।

9. यदि प्रतिवादियों की सेवा पूरी हो गई है तो याचिकाकर्ता को स्थगन आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए बोर्ड से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।

(अवनीश झिंगन),जे

रिया/22

क्या रिपोर्ट योग्य है : हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate